



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

[No. 605] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 1988/अग्रहायण 1, 1910  
No. 605] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 1988/AGRAHAYANA 18, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

का. आ. 1075(अ).—कयर बोर्ड, कयर वार्ड (कारवार संव्यवहार, कर्मचारियों की  
वा की शर्तों और लेबा खरखाव) उपविधि, 1955 की उपविधि 15 और 16 के साथ पठित,  
कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (घ)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने पर कचर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अयोल) उपविधि, 1969 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. (1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम कचर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अयोल) संशोधन उपविधि, 1988 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगी।

2. कचर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अयोल) उपविधि, 1969 में, उपविधि 11(8) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“टिप्पण:—

1. बोर्ड का कोई कर्मचारी, बोर्ड के किसी अन्य ऐसे कर्मचारी की सहायता नहीं लेगा, जिसके हाथ में ऐसे दो अनुयायिक मामले लंबित हैं, जिनमें उसकी सहायता देनी है।
2. बोर्ड का कोई कर्मचारी, अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी शर्तों के अंगीकार करते हुए, जो विनिर्दिष्ट को जाएं, बोर्ड के किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की सहायता भी ले सकेगा”।

[फा. सं. 6(3)/83-आई सी सी]

श्री वैकटारमनन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— अधिसूचना का. आ. 200 तारीख 18 जनवरी, 1969 निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है:

- (1) अधिसूचना का. आ. 2279 तारीख 19 जुलाई, 1975।
- (2) अधिसूचना का. आ. 4389 तारीख 20 नवम्बर, 1976।
- (3) अधिसूचना का. आ. 4372 तारीख 17 नवम्बर, 1983।

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 22nd November, 1988

### NOTIFICATION

S.O. 1075(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (i) section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with

bye-laws 15 and 16 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-laws 1955 and confirmed by the Central Government, the Coir Board hereby makes the following amendment in the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 1969 namely:—

1. (i) These Bye-laws may be called the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Bye-laws, 1988.

(ii) They shall come into force at once.

2. In the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 1969, after bye-laws 11(8), the following Notes shall be inserted, namely :—

“NOTES :

1. An employee of the Board shall not take the assistance of any other employer of the Board who has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.
2. An employee of the Board may also take the assistance of a retired employee of the Board to present the case on his behalf subject to such condition as may be specified.”

[F. No. 6(3)/83-ICC]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

Foot Note :—Notification S.O. 200 dated 18th January, 1969 has been subsequently amended by :

- (i) Notification S. O. 2279 dated 19th July, 1975.
- (ii) Notification S.O. 4389 dated 20th November, 1976.
- (iii) Notification S.O. 4372 dated 17th November, 1983.